श्रीमान माननीय म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. (140)

निगरानी-3542/2018/इंदौर/भू.रा.

प्र.क्रं. / 2017-2018

1. रूकय्या बी बेवा बाबूखॉ

निवासी- ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर

2. मोहम्मद नूर पिता बाबूखॉ

निवासी- ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर

3. मोहम्मद नजर पिता बाबूखॉ

निवासी- ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर

4. अब्दुल हसन पिता बाबूखॉ

निवासी- ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर

5. रूखसान बी पति मोहम्मद कादीर

निवासी- ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर ---प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. महेश पिता इन्दौरीलाल कछवाह

पता- 237, कालानी नगर, इन्दौर

2. अनिता पति अन्तरसिंह

निवासी- ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर ---प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन 21/06/2017 द्वारा राजस्व निरीक्षक कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर म.प्र. के क्रमांक/रा.नि./क्यू.1/2017 में आदेश दिनांक 21/06/2017 के पालन में तैयार किया गया।

अविरत......2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3542/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
27-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, इंदौर के आदेश दिनांक 21-6-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15-5-18 को लगभग 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में उन्हें सूचना नहीं दिया जाना एवं आलोच्य आदेश की जानकारी बेदखली के प्रकरण में समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने पर गांव के व्यक्ति द्वारा दी जाना बतलाया गया है । उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदकगण को सूचना दी उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । अत: विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा जो कारण बताये गये हैं, वह समाधान कारक नहीं हैं । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है, अत: विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है अध्यक्ष	